

Mai)

!! कार्यालय : जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलवर !!  
क्रमांक/स्था./2024/ 40405

दिनांक : 11 NOV 2024

-: आ दे ए :-

I

मैं, हरेन्द्र सिंह, जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलवर, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 214 (दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 194) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किशनगढबास मुख्यालय पर स्थित अपर जिला एवं सेशन न्यायालयों का निम्न प्रकार स्थानीय फौजदारी क्षेत्राधिकार निर्धारण करता हूँ :-

क्र.सं.	न्यायालय का नाम	स्थानीय फौजदारी क्षेत्राधिकार
1	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या-1, किशनगढबास	कोटकासिम थाना एवं आबकारी निरोधक दल, खैरथल
2	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या-2, किशनगढबास	किशनगढबास एवं खैरथल थाना

II

मैं, हरेन्द्र सिंह, जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलवर, राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 की धारा 10 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किशनगढबास मुख्यालय पर स्थित अपर जिला एवं सेशन न्यायालयों का निम्न प्रकार स्थानीय दीवानी क्षेत्राधिकार निर्धारण करता हूँ :-

क्र.सं.	न्यायालय का नाम	स्थानीय दीवानी क्षेत्राधिकार
1	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या-1, किशनगढबास	कोटकासिम उपखण्ड क्षेत्र से उद्भूत होने वाले प्रकरण
2	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या-2, किशनगढबास	किशनगढबास उपखण्ड क्षेत्र से उद्भूत होने वाले प्रकरण

यह आदेश दिनांक 12.11.2024 से लागू माना जावेगा।

sd-

( हरेन्द्र सिंह )  
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,  
अ ल व र

क्रमांक/स्था./2024/ 40406-16

दिनांक 11 NOV 2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर को सूचनार्थ।
- 2- अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या-1, किशनगढबास/संख्या-2 किशनगढबास।
- 3- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलवर।
- 4- अति० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-1 किशनगढबास/संख्या-2 किशनगढबास।
- 5- सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, किशनगढबास/कोटकासिम।

- 6- अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, किशनगढबास/कोटकासिम।
- 7- सिस्टम ऑफिसर को जिला एवं सेशन न्यायालय, अलवर की वेबसाईट पर अपलोड करने एवं सम्बंधित न्यायालयों को ई-मेल करने हेतु।

sd-

( हरेन्द्र सिंह )

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,  
अ ल व र